

## Order sheet [Contd]

case No.B.A.-412/17

|   | Order or proceeding with signature of Presiding Officer   | Signature of Parties or Pleadars where necessary |
|---|---|--|
| <p>30-11-17<br/>03:00 P.M<br/>to<br/>03:15 P.M.</p> | <p>आवेदक / अभियुक्त कृष्ण स्वरूप शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उपस्थित।<br/>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।<br/>थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 104/17 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।<br/>आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438 जा0फौ0 के साथ आवेदक कृष्ण स्वरूप शर्मा ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट होता है।<br/>आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-438 जा0फौ0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।<br/>आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण कृषि पेशा व्यक्ति होकर सीधा साधे व्यक्ति है। आवेदकगण का किसी प्रकार के अपराध से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। पुलिस थाना एण्डोरी ने असत्य घटना का वर्णन करते हुए उनके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्नशील है। आवेदक के पुत्र अजय शर्मा का विवाह मृतिका आरती देवी से करीब 03 वर्ष पूर्व बिना किसी दान दहेज के हुआ था। विवाह के बाद आवेदकगण का पुत्र अजय शर्मा एवं उसकी पत्नी मृतिका आरती देवी आवेदकगण से प्रथक निवास करने लगे थे और आवेदकगण अपनी नाबालिक पुत्री के साथ मृतिका से प्रथक निवास करते थे। आवेदकगण ने मृतिका से कभी भी किसी प्रकार से दहेज की मांग नहीं की है। फरियादी ने विरोधियों के बहकावे में आकर कथित झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। आवेदक कृष्ण स्वरूप कृषि पेशा व्यक्ति होकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र सदस्य है इस समय बुबाई का समय चल रहा है यदि आवेदक को उक्त अपराध में न्यायिक निरोध में लिया गया तो उसकी कृषि भूमि बिना बुबाई के बंजर रहा जाएगी और ऐसी स्थिति में उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवेदक श्रीमती अरुणा पर्दानशी वृद्ध महिला है। यदि आवेदक अरुणा को गिरफ्तार किया</p> |  |

|  | Order or proceeding with signature of Presiding Officer   | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|--|---|--|
|  | <p>जाता है तो आवेदक की सामाजिक छवि खराब होकर उसे मानसिक पीड़ा होगी। न्यायिक अभिरक्षा में अदातन अपराधियों के सम्पर्क में आने से उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आवेदकगण संभ्रांत व्यक्ति है उनका कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका आरती देवी का विवाह दिनांक 10.02.15 को अजय शर्मा निवासी एण्डोरी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात से मई 2016 से पति अजय शर्मा, सास अरुणा, ससुर कल्लू प्रसाद एवं चचिया ससुर दामोदर दहेज में आरती देवी से बुलट मोटरसाइकिल की मांग कर प्रताड़ित करते थे, अजय मारपीट करता था, सास ससुर चाचा उसका साथ देते थे। समझाने पर भी वे लोग नहीं माने उक्त प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 10.10.2017 को सुबह आरती ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के भीतर आरती की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होना पाई गई। दिनांक 10.10.17 को आरती भाई संतोष शर्मा को आरती की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसने एण्डोरी बहन की ससुराल पहुंचने के बाद थाना एण्डोरी में मर्ग सूचना दर्ज कराई जिसकी जांच पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने से थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।</p> <p>आवेदक कृष्ण स्वरूप शर्मा मृतिका का ससुर है तथा अरुणा शर्मा सास है। मामले की उक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदकगण कृष्ण स्वरूप शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदकगण कृष्ण स्वरूप शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र को निरस्त किया गया।</p> <p>आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापिस की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर)</p> <p style="text-align: right;">द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p style="text-align: right;">गोहद जिला भिण्ड</p> |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleadors where necessary |
|  |   |  |

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)